

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला-झालावाड़ (राज.)

मांगीबाई बनाम केलाशचन्द

किस्म मुकदमा प्रापत्र (251A) नं. 70 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
09/17/21	प्रापत्र धारा 251A के तहत जर्न वकील पेश हुका, जिसे फर्द राजि कर अपरार्थीगण को जर्न सम्मन तत्व कर पत्रावली दि. 18/10/21 को पेश हो	
18 ¹⁰ /21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिवक्ता, जालावाड़ को पत्रावली पेश की। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/21 को पेश हो।	
27 ¹⁰ /21	पत्रावली आज केस हिमालय में पेश हुई। वकीलदार रामपुर से मौका रिपोर्ट मप नमरा देल, जीपलाती रेट प्राप्त 3 श्री पत्रावली का अन्वेषण किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथिम्य को अपनी खजोदारी की आराजी खन 292/1090 में आते जाते हेतु नवीन सस्ता की आवश्यकता के जो अपरार्थीगण की आराजी खन-328 की दक्षिण भेड व खन-329 की दक्षिण भेड व खन-392/1227 की दक्षिण पश्चिमी	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेशों की हुक्म की तारीख में जारी की
	<p> में 3 पर होकर ... दिया जा सकता है। नवीन रास्ता कापनी हेतु मेहताब वि. जगन्नाथ दांगी की काराजी ख.नं. 328 में 12 कीर चौड़ा 290 कीर लम्बा कर्षित 3 बिघा भूमि उपयोग में आवेगी। इसी प्रकार बादाम बाड़ी पर केलाशचन्द्र दांगी की काराजी ख.नं. 329 में 12 कीर चौड़ा 165 कीर लम्बा कर्षित 1 बिघा भूमि एवं रमेशचन्द्र, केलाशचन्द्र, मनोहरलाल वि. गोखुल दांगी की काराजी ख.नं. $\frac{392}{1227}$ में 12 कीर चौड़ा 270 कीर लम्बा कर्षित 2 बिघा भूमि उपयोग में आवेगी। गण फतेहगढ़ की डीएलपी दर राशि 169088 रु प्राप्ति कीया जिनमें से 8 बिघा भूमि की राशि 50726 रु बनती है। अतः प्रस्तुत प्रकार से प्राप्ति का गण फतेहगढ़ की काराजी ख.नं. $\frac{392}{1090}$ में जाने हेतु कर्षित ... मेहताब वि. जगन्नाथ दांगी की काराजी ख.नं. 328 में ^{उपरोक्त} 12 कीर चौड़ा 290 कीर लम्बा, कर्षित बादाम बाड़ी पर केलाशचन्द्र दांगी की काराजी ख.नं. 329 में ^{उपरोक्त} 12 कीर चौड़ा 165 कीर लम्बा व कर्षित रमेशचन्द्र, केलाशचन्द्र, मनोहरलाल वि. गोखुल दांगी की काराजी ख.नं. $\frac{392}{1227}$ में ^{उपरोक्त} 12 कीर चौड़ा 270 ... कीर लम्बा रास्ता कापनी का कर्षित दिया जाता है। एवं कर्षित भूमि की भूमि की अधिकारी हेतु डीएलपी दर की कुल राशि अर्थात् मेहताब वि. जगन्नाथ दांगी की 50726 रु, बादाम बाड़ी पर केलाशचन्द्र दांगी की 16908 रु, एवं रमेशचन्द्र, केलाशचन्द्र, </p>	

तारीख
इस
तालीम
हुए

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
-----------------------	---	---

मनोहरलाल पिल. गोकुल रांगी को 33816 रु.
दिलाने जाने का आदेश दिया जाता है. तदनुसार
राफ्त को तहरीर जारी कर पत्रावली केवल
शुभारथेकर दायिमल बफार हो।



(Signature)
 (सन्तोष कुमार मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा जिला झालावाड
 प्रशासन गांव के संग 2021